

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7)/वित्त(नियम)/2008 दिनांक 12-09-2008 एवं आदेश संख्या एफ. 11(7)/वित्त (नियम) पार्ट-1/2008 दिनांक 06-10-2008 के अनुसरण में राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित अधिकारियों (व्याख्याता) को राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम-19 के तहत उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वसित कैरियर प्रगति), कॉलम संख्या 8 के अनुसार ग्रेड वेतन, कालम संख्या 9 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है

क्र. सं.	नाम मय विषय व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/सुश्री/श्रीमति (रा.उ.मा.वि.)	जन्मतिथि	व्याख्याता पद पर चयन का प्रकार	प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वीकृत एसीपी I, II, III	वेतन बेण्ड	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृत तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सुमन बाला शर्मा ब्या० इतिहास बाएसएमडी, अलवर	15.09.73	सीधी भर्ती	01.10.03	I	9300-34800	5400	01.10.2013
2	लल्लुराम खटीक ब्या० इतिहास खानपुरमेवान, अलवर	13.12.58	डीपीसी	02.07.84 वअ	III	15600-39100	6000	02.07.2014
3	महेन्द्र कुमार ब्या० इतिहास (एबीईईओ) बीईईओ पठसं० ताराणगर, चूरु	07.06.65	सीधी भर्ती	16.02.95	II	15600-39100	6000	16.02.2015

पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 के तहत इनका वेतन सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति का इन्चार्ज सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित किया जावे।

(बी.एल.स्वर्णकार)

आईएएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

दिनांक- 20/4/2016

क्रमांक-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/एसीपी/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है:-

- 01 संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
- 02 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II)
- 03 सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु
- 04 संबंधित प्रधानाचार्य, राउमावि,
- 05 संबंधित व्याख्याता
- 06 रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर